भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली - 110001

सं.: 3/8/2018/एस डी आर/खण्ड-। दिनांक: 5 सितम्बर, 2018

सेवा में,

सभी राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों के
मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

विषय: खुली जगह एवं सार्वजनिक सम्पत्ति के विरूपण को रोकने पर अनुदेश - तत्संबंधी।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे आयोग के दिनांक 20 अप्रैल, 2018 के पत्र सं. 509/241/ई सी आई/पत्र/प्रकार्या/न्यायिक/आर सी सी/2011 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करने और यह कहने का निदेश हुआ है कि निर्वाचन प्रचार के संबंध में लाउडस्पीकरों के उपयोग की समय-सीमा से संबंधित उक्त पत्र के पैरा 2 के अंतर्गत मद सं. (6) के अनुदेश पत्र सं. 3/8/2005/जे एस-।। दिनांक 26 सितम्बर, 2005 (प्रति संलग्न) जिसमें निर्वाचन प्रचार के लिए लाउडस्पीकरों के उपयोग की निषिद्ध अवधि रात्रि 10.00 बजे से पूर्वा. 6.00 बजे के बीच निर्दिष्ट की गई है, के द्वारा निर्गत माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 18.07.2005 के अनुसरण में जारी अनुदेशों के अनुरूप संशोधित कर दी गई है।

तद्नुसार, आयोग के दिनांक 20.04.2018 के पत्र के पैरा 2(6) को निम्नानुसार संशोधित कर दिया गया है:-

''6. आदर्श आचार संहिता की अवधि के दौरान **रात्रि 10.00 बजे से पूर्वाह्न 6.00 बजे** तक के मध्य प्रचार अभियान जिसमें घर-घर जाकर प्रचार करना, एस एम एस, वाट्सअप कॉल, लाउड स्पीकरों आदि के प्रयोग के माध्यम से प्रचार संबंधी क्रियाकलापों पर प्रतिबंध होगा क्योंकि नागरिकों की गोपनीयता का सम्मान करने और सामान्य रूप से सार्वजनिक जीवन में बाधा उत्पन्न करने में कमी करने के लिए यह आवश्यक है।''

इसे सूचना एवं अनुपालन हेतु जिला निर्वाचन अधिकारियों, रिटर्निंग अधिकारियों तथा अन्य सभी संबंधित प्राधिकारियों के ध्यान में लाया जाए। इसे आपके राज्य/संघ शासित क्षेत्र में आधारित राष्ट्रीय दलों की राज्य इकाइयों, मान्यता प्राप्त राज्यीय दलों तथा पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त दलों को अनुपालन हेतु भी संसूचित किया जाए।

भवदीय,

(एन.टी. भुटिया)
सचिव

प्रतिलिपि : निदेशक (विधि) के निजी सहायक

स्पीड पोस्ट/ई-मेल द्वारा

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं.509/241/ईसीआई/पत्र/प्रकार्या./न्या./आरसीसी/2018 दिनांक: 20 अप्रैल, 2018

सेवा में,

सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के
मुख्य निर्वाचन अधिकारी तथा मुख्य सचिव।

विषय: खुले स्थानों तथा सार्वजनिक संपत्ति के विरूपण की रोकथाम पर अनुदेश- तत्सम्बन्धी।

महोदया/महोदय,

मुझे नीचे दी गई तालिका1 में यथानिहित इस संबंध में आयोग के निर्देशों के साथ-साथ प्रचार-प्रसार सामग्री तैयार करने के लिए प्लास्टिक /पॉलिथिन और इसके समान गैर-जैव-अवयव सामग्री के उपयोग से बचने के लिए पत्र संख्या 4/3/99/जेएस-II दिनांक 16.07.1999, पत्र संख्या4/3/2003/जेएस-II/खण्ड-I दिनांक 01.05.2003, पत्र संख्या 4/3/2004जेएस-II/खण्ड-I दिनांक 11.03.2004, पत्र संख्या 4/3/2006/जेएस-II/2159-2193 दिनांक 16.03.2006 और पत्र संख्या 4/3/2016/एसडीआर दिनांक 05.04.2016 द्वारा जारी एडवाइज़री तथा निर्वाचन अभियान/प्रचार सामग्री तैयार करने के लिए पर्यावरण-अनुकूल पदार्थों के उपयोग के लिए पत्र दिनांक 06.04.2016 द्वारा जारी एडवाइज़री की ओर आपका ध्यान आकर्षित करने का निदेश हुआ है।यह भी कहना है कि उपर्युक्त एडवाइज़री एतदद्वारा अनिवार्य प्रकृति की है।

तालिका-1: वर्तमान विषय पर आयोग के अनुदेश-

क्रम सं.	**परिपत्र संख्या**	**तारीख**	**विषय**
1.	पत्र संख्या 3/9/2004/जेएस-II	24.08.2004	पैम्फलेट, पोस्टर आदि के मुद्रण पर रोक।
2.	पत्र संख्या 3/9/2007/जेएस-II	16.10.2007	पैम्फलेट, पोस्टर आदि के मुद्रण पर रोक।
3.	परिपत्र संख्या 3/7/2008/जेएस-II	07.10.2008	सम्पत्ति तथा प्रचार से संबंधित अन्य सामग्री के विरूपण की रोकथाम-संशोधित अनुदेश।
4.	पत्र 3/7/2008/जेएस-	10.11.2008	सम्पत्ति के विरूपण की रोकथाम।

	॥/एसडीआर/2905-2939		
5.	अनुदेश सं.437/6/अनुदेश/2012-सीसी एवं बीई	18.01.2012	सम्पत्ति तथा प्रचार से संबंधित अन्य सामग्री के विरूपण की रोकथाम-संशोधित अनुदेश।
6.	परिपत्र सं.3/7/2014/एसडीआर	11.03.2014	सम्पत्ति तथा प्रचार से संबंधित अन्य सामग्री के विरूपण की रोकथाम-राजनैतिक दलों के झण्डों के उपयोग के संबंध में स्पष्टीकरण।
7.	सं.4/पत्र/ईसीआई/प्रकार्या./न्या./एसडीआर/2016	25.07.2016	पैम्फलेट, पोस्टर आदि के मुद्रण पर प्रतिबंध-स्पष्टीकरण।

2. इसके अतिरिक्त यह भी निदेश दिया जाता है कि आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा 2014 की याचिका संख्या 23, सामाजिक न्याय के लिए ट्रस्टके अध्यक्ष बी.श्री लता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य एवं अन्य दिनांक 24.02.2014 के आदेश के अनुसार दिए गए निदेश पूरे भारत में लागू होगें। सुविधा के लिए आदेश का प्रासंगिक भाग नीचे पुन: प्रस्तुत किया जा रहा है:

> "3. तथ्यों के उपरोक्त प्रकटन के आलोक में, हम आयुक्त, ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम को निदेश देते हैं कि वे बैनर और साइन बोर्ड लगाने के लिए व्यक्तियों को पहले से दी गई अनुमतियों की समीक्षा करें और यह सुनिश्चित करें कि क्या ऐसी अनुमतियों को इसकी आवश्यकता के अनुसार उपर्युक्त सरकारी आदेश की तुलना में लगातार जारी रखने की अनुमति दी जानी चाहिए या नहीं जैसा कि रिपोर्ट में कहा गया है कि इस तरह की कोई भी अनुमति एक समय में दो साल से अधिक नहीं होगी।
>
> 5.[...] इसलिए,हम आयुक्त, ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम और पुलिस आयुक्त,हैदराबाद को निदेश देते हैं कि वे ग्रेटर हैदराबादनगर निगम की अनुमति के बिना सड़कों या सार्वजनिक स्थानों पर लगे सभी कटआउट,बैनर और साइन बोर्ड को हटाएं।
>
> 6.सर्वप्रथम, ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम और पुलिस आयुक्त, हैदराबाद उन लोगों को जिन्होंने अनधिकृत कटआउट, बैनर, होर्डिंग्स, साइन बोर्ड लगाए हैं, सात दिनों के भीतर अपनी लागत पर हटाने के लिए नोटिस जारी करेगें, जिसके विफल रहने पर उन्हें हटा दिया जाएगा और ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम द्वारा लगाई गई दरों और करों के आदेश के द्वारा हटाने की ऐसी लागत उन लोगों से सार्वजनिक कर्ज के रूप में वसूल की जाएगी जिन्होंने उन्हें सार्वजनिक रूप में लगाया और स्थापित किया है। इस न्यायालय में अनुपालन रिपोर्ट जमा करने के लिए यह मामला एक महीने बाद प्रस्तुत किया जाए। इससे पीड़ित कोई भी व्यक्ति इस न्यायालय से संपर्क कर सकता है और न्यायालय उनकी शिकायत की जांच करेगा। इस बीच, ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम और पुलिस

आयुक्त, हैदराबाद देखेंगे कि सार्वजनिक सड़कों या जगह या पार्क में अनुमति के बिना कोई पोस्टर, बैनर और कटआउट नहीं लगाए गए हों और यह भी सुनिश्चित किया जाए कि इस आदेश का सख्ती से पालन किया जाए और इस आदेश के कार्यान्वयन की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।"

3. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 एवं प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 तथा इस संबंध में लागू अन्य विधियों को एतदद्वारा स्थानीय नगरपालिका प्राधिकरण द्वारा प्रचार अभियान सामग्री के निपटारे के लिए अपनाया जाता है और प्रदूषक सिद्धांत के अनुसार इसकी लागत अभ्यर्थियों या राजनीतिक दलों, जैसा भी मामला हो, से वसूल की जाएगी।

4. प्रत्येक नगरपालिका निकाय/पंचायत द्वारा कुछ क्षेत्र विशेष रूप से भित्तिचित्र, दीवार लेखन, पोस्टर को चिपकाने या कट-आउट के प्रदर्शन के लिए निर्धारित किया जाना चाहिए और ऐसे क्षेत्र को एक समान तरीके से उपयोग किए जाने की अनुमति दी जाए। इसके अतिरिक्त, निर्वाचन के पश्चात, प्रचार अभियान सामग्री को हटाने के लिए राजनीतिक दलों या उम्मीदवारों की ज़िम्मेदारी होनी चाहिए।

5. विज्ञापनदाताओं द्वारा उपलब्ध वाणिज्यिक स्थानों तथा उपरोक्त पैराग्राफ में उल्लिखित नामित स्थानों को छोड़कर, किसी भी खुलेस्थान या किसी सार्वजनिक संपत्ति पर प्रचार अभियान सामग्री को चिपकाया या लगाया नहीं जाना चाहिए।

6. एमसीसी अवधि के दौरान जिसमें घर-घर जाकर प्रचार अभियान करना, एसएमएस, व्हाट्सएप, कॉल, लाउडस्पीकर आदि का उपयोग सहित प्रचार करने संबंधी गतिविधियां अपराह्न 7 बजे से पूर्वाह्न 8 बजे के बीच निषेध होंगी क्योंकि नागरिकों की गोपनीयता का सम्मान करना और सामान्य रूप से सार्वजनिक जीवन में बाधा उत्पन्न करने में कमी करने के लिए यह आवश्यक है।

7. उपर्युक्त अनुदेश सभी संबंधित निर्वाचन प्राधिकारियों, नगर निकायों/पंचायतों, पुलिस प्राधिकारियों के साथ-साथ राजनीतिक दलों के नोटिस में लाए जाएं।

प्रतिलिपि प्रेषित:- मान्यता प्राप्त सभी राष्ट्रीय तथा राज्यीय दल।

भवदीय,

(विजय कुमार पाण्डेय)
निदेशक (विधि)

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली - 110001

सं.3/8/2005/जेएस-II दिनांक : 26 सितंबर, 2018

सेवा में

1. सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव।
2. सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

विषय : निर्वाचन प्रचार अभियान के लिए लाउडस्पीकरों का उपयोग - तत्संबंधी।

महोदय,

वर्ष 1998 की रिट याचिका (सिविल) सं. 72 (फोरम पर्यावरण और ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम बनाम भारत संघ एवं अन्य) में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 18-07-2005 के आदेश के अनुसरण में, मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निर्वाचन प्रचार अभियान के लिए लाउडस्पीकरों के प्रयोग के बारे में आयोग के दिनांक 26 दिसम्बर 2000 के अपने पत्र सं. 3/8/2000/जेएस-II के द्वारा परिचालित अनुदेश के पैरा 3(1) (अनुदेशों का सार संग्रह, 2004 संस्करण की मद सं. 95 पर पुन: प्रस्तुत) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

> "3(i) निर्वाचन प्रचार अभियान के उद्देश्य से प्रयोग में लाए जाने वाली सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली या लाउडस्पीकर या किसी ध्वनि एम्प्लीफायर चाहे वह किसी भी प्रकार के वाहन पर या जन सभाओं के मंच पर स्थैतिक रूप से लगाया गया हो, का प्रयोग रात 10.00 बजे से पूर्वाह्न 6.00 बजे तक के बीच नहीं किया जाएगा।"

2. उपर्युक्त संशोधन सूचना एवं अनुपालन हेतु जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी और अन्य निर्वाचन प्राधिकारियों के ध्यान में लाया जाना चाहिए। सभी राष्ट्रीय एवं राज्यीय दलों और मान्यताप्राप्त राज्यीय दलों को ऊपर उल्लिखित निर्देशों को अनुपालन हेतु सूचित किया जाए। बिहार के मामले में जहां विधान सभा के साधारण निर्वाचन प्रगति पर हैं, ये अनुदेश सभी अभ्यर्थियों के ध्यान में भी लाए जाएं।

3. कृपया इस पत्र की पावती दें।

भवदीय

ह./-

(के.एफ.विल्फ्रेड)

सचिव

सभी जोनल सचिवों, अवर सचिवों और जोनल अनुभागों को परिचालित।